FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम बायतु

किशना बनाम भैराराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज वाद नं. 80/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/6/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9/8/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
09/08/17	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील किस्म तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली बाईना दिनांक 24/10/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/10/17	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील किस्म तामील अप्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री नरपत [illegible] द्वारा वकालातनामा मय प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC वास्ते वाद/आवेदन क्षेत्राधिकार से परे होने, विधि द्वारा वर्जित होने व बिना वाद-कारण हासिल किये पेश होने के कारण खारिज	

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

किये जाने बावत का प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति वादी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अत: पत्रावली 0-7-R-11 के प्रार्थना-पत्र जवाब हेतु दिनांक 29/11/17 को पेश हो।

29/11/17

[illegible] फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा 0-7-R-11 के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया, फाईल्स पेश करना चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/12/17 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

27/12/17

वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा 0-7-R-11 CPC के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया, फाईल पेश करना चाहते हैं। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 14/02/18 को पेश हो।

14/02/18

वादीनी स्वयं व वादीनी के वकील तथा प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। वादीनी के वकील द्वारा 0-7-R-11 CPC के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रतिवादी संख्या-1 के वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 11/04/18 को पेश हो।

किरण

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/04/18	वादिनी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी लिंक कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 05/06/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
05/06/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत कोर्ट ग्राम पंचायत ओढ़ू में रखी गई। पक्षकारान मुताबिक उपस्थित। वादिनी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील O-7-R-11 CPC के प्रार्थना-पत्र पर बहस कराना चाहते है। समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06/08/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
06/08/18	वादिनी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील/अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है अतः पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र O-7-R-11 CPC दिनांक ~~[illegible]~~ 18/12/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/12/18	वादिनी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हुए है अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 21/01/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...
21/01/19	पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाद दोपहर डिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आइन्दा दिनांक 06/02/19 को पेश हो। [signature]	
06/02/19	पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। आवेदन O-7, R-11 CPC पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वादीनी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेजों की सूचि O-7, R-11 CPC के सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय की प्रतियां RRT 2016-17 (Supp.) Page 575 भागचंद v/s गुलाब देवी निर्णय दिनांक 15/12/2016, RRT-2017 (2) Page 605 संजय सिंह वगैरा v/s सोमोती वगैरा निर्णय दिनांक 30/05/2017 RBJ-2017 Page-757 (H.C) विजयसिंह वगैरा v/s छुट्टा वगैरा निर्णय दिनांक 12.03.2012, RBJ-2018 Page-250 (H.C) श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० जयपुर v/s AIA इंजिनियरिंग लि० निर्णय दिनांक 25/10/2017, RBJ 2018 Page-449 (H.C) उत्तम सोल्वेट P. Ltd. v/s राजस्थान स्टेट वगैरा निर्णय दिनांक 11.04.2018 RLW-2005 (2) Page-426 चोथी v/s सतपालसिंह निर्णय 08.6.2005 व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेजों की सूची-नकल निर्णय आदेश व डिग्री पर्चा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बाड़मेर दिनांक 23.05.1995 जो चन्द्रावती (स्वयं वादीनी किरण की माता) बनाम रूघाराम में एकतरफा पारित किया गया कि प्रतिलिपि पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने प्रा० पत्र O-7, R-11 CPC पर जाहिर किया कि वादीनी किरण द्वारा वर्जित एवम् बिना वाद कारण हासिल किये पेश किया है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी में वादीनी किरण स्वयं को रूघाराम की पुत्री होने का अभिकथन करती है जबकि दस्तावेजो के प्रमाण के आधार पर वह रूघाराम की विधिक पुत्री नहीं है क्योंकि रूघाराम की पत्नि चन्द्रावती द्वारा अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत तलाक आवेदन धारा 13 हि० वि० अधिनियम के अनुसार वर्ष 1984 में रूघाराम के गायब होने के 6 माह बाद उसके एक पुत्री का जन्म हुआ था। लेकिन	

[signature]
सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादीनी का जन्म 1987 में हुआ है जो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है ऐसी स्थिति में वह रूघाराम की पुत्री नहीं हो सकती है। इसके अलावा वादीनी द्वारा अपने वाद के पद संख्या-9 में उसने रूघाराम के मृत होने का कथन किया है और वाद में रूघाराम को पक्षकार भी बनाया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती है अतः वादीनी किरण द्वारा जो वाद पेश किया गया है वो वाद स्पष्टतः विधि द्वारा वर्जित एवम् बिना वाद कारण के पेश किया गया है। जिसमें CPC के O-7, R-11 CPC के प्रावधानो O-7, R-11 CPC के तहत खारिज किया जाने योग्य है इसके विपरीत अधिवक्ता वादीनी ने अपनी बहस में तर्क दिया की वाद विधि के प्रावधानो के तहत पेश किया गया है जिसमें CPC के O-7, R-11 के प्रावधान लागु नहीं होते है एवम् वादीनी के रूघाराम के वारिस होने व न होने का प्रश्न साक्ष्य की विषय वस्तु है जो दौराने साक्ष्य साबित की जावेगी और वाद के पद संख्या-9 में रूघाराम के मृत होने का जो तथ्य अंकित किया गया है जो एक मात्र टंकण भूल है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना-पत्र O-7, R-11 CPC खारीज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो की बहस को सुना, विधि के प्रावधानो का अध्ययन किया। वादीनी किरण पुत्री रूघाराम पत्नि नेमाराम ने वाद पत्र के बिन्दु संख्या-2 में कथन किया है कि खसरा नम्बर 561 मौजा- मोराला में प्रतिवादी संख्या-1 के नाम से दर्ज 1/6 हिस्से में से वादीनी का 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 888, 898, 900, 901 व 902 मौजा नरसाली नाडी में प्रतिवादी संख्या-1 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा अर्थात कुल रकबे का 1/6 हिस्सा पैतृक खातेदारी अधिकारों का है तथा खसरा नम्बर 920/1040 में अंकित वादीनी के पिता रूघा के 1/2 हिस्सा के स्थान पर वादीनी अपना हक हिस्सा

सहायक कलक्टर (SDO)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...

घोषित करवाने की विधिक अधिकारिणी है क्योंकि वादिनी स्व. मगा की पोती व विधिक वारिसान है तथा वादिनी के पिता रूपा विगत 20 वर्षों से लापता है।

वाद के बिन्दु संख्या-9 के अनुसार वादिनी के पिता आज से करीब 20 वर्ष पूर्व फौत हुए। बिन्दु संख्या 13 में चाहा गया अनुतोष भी बिन्दु संख्या-9 के अनुसार ही है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादिनी प्रतिवादी संख्या-1 मेहराराम एवं प्रतिवादी संख्या-2 रूपाराम को सगा भाई (मगाराम के पुत्र) मानते हुए एवं स्वयं को रूपाराम पुत्र मगाराम की एकमात्र जाइन्ट सन्तान मानते हुए रूपाराम को प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण सम्पत्ति में हिस्से पर दावा करते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहती है। किसी भी खातेदार की फौतगी के उपरान्त ही उसके वारिसान को उसकी सम्पूर्ण जोत का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इस हेतु प्रार्थिया/वादिनी को सिविल न्यायालय में दावा कर रूपाराम पुत्र मगाराम की सिविल मृत्यु घोषित करवाते हुए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित है। क्योंकि वाद धारा 88 रा.का. अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नहीं आता है वरन् भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। साथ ही वाद के बिन्दु संख्या-9 को अगर स्वीकार किया जावे कि वादिनी के पिता आज से करीब 20 वर्ष पूर्व फौत हुए हैं तो भी उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित है क्योंकि कानूनन किसी भी मृत व्यक्ति के विरुद्ध दावा नहीं किया जा सकता है।

लिहाजा प्रतिवादी मेहराराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O-7, R-11 CPC स्वीकार कर वादिनी का वाद बिना वाद कारण दाखिल कर पेश करना व विधि द्वारा वर्जित होना मानते हुए वादिनी का वाद इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब होकर पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06/02/19 को खुले न्यायालय में जाकर उद्घोषित किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु